मुसहर समुदाय का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन

–डॉ. महेन्द्र प्रताप सिंह
एसो. प्रोफेसर, समाजशास्त्र
राणा प्रताप पी.जी. कॉलेज, सुलतानपुर

प्रस्तुत शोध प्रपत्र का उद्देश्य उत्तर प्रदेश स्थित सुलतानपुर जिले के मुसहर समुदाय के सामाजिक एवं राजनीतिक पक्ष का ज्ञान प्राप्त करना है। एक जाति के विचार से मुसहर जाति की एक अलग ही जीवन–पद्धति तथा एक सम्मिलित जातीय संगठन है। साधारणतया मुसहर समुदाय की जीवन–पद्धति को सनातन पद्धति कहा जा सकता है। उनकी सामाजिक प्रणाली रूढ़िवादी है। ये लोग अपने आदर्शों, मूल्यों, आकांक्षाओं, नैतिक मान्यताओं द्वारा निर्मित जीवन प्रतिमानों के प्रति बहुत जागरूक एवं चैतन्य है। अपने रूढ़िवादी जातीय संगठन के बावजूद ये लोग हिन्दू संस्कार के अत्यन्त निकट हैं।

मुसहर समुदाय के सन्दर्भ में कोई विशेष एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मुसहर समुदाय के जीवन–पद्धतियों, मूल्यों, विश्वासों एवं सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिमानों को समझने का अब तक प्रयास नहीं किया गया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध प्रपत्र की उपयोगिता स्वतः स्पष्ट है।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मुसहर जाति की कुल जनसंख्या 206594 है जिनमें सुलतानपुर जिले में उनकी जनसंख्या लगभग 3000 है। इनकी जनसंख्या जिले में इतनी बिखरी हुई है कि इनसे सम्पर्क कर पाना ही कठिन था, अतः 123 लोगों से सम्पर्क स्थापित कर तथ्यों को संग्रहीत किया गया। उनके सामाजिक जीवन के अन्तर्गत उनके उनके पड़ोसी, उनसे सम्बन्ध, उनसे संघर्ष, संघर्ष–निराकरण के प्रयास, जातीय संगठन आदि पर तथा राजनीति जीवन के अन्तर्गत राजनीतिक अभिरुचि तथा उसके प्रभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण की सुविधा हेतु हम सर्वप्रथम मुसहर समुदाय के सामाजिक जीवन तत्पश्चात् उनके राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे।

सामाजिक जीवनः

पड़ोसी–

पारिस्थितिकी एवं व्यक्तियों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर अकेले नहीं रहता, क्योंकि इनका जीवन एक दूसरे पर निर्भर है, तथा एक–दूसरे को प्रभावित करता है। सम्बन्धों के इस जाल को, इस ताने–बाने को समाजशास्त्रीय जगत में 'समाज' कहते हैं। मैकाइबर एवं पेज ने उचित ही कहा है कि, 'यह सामाजिक सम्बन्धों का जाल है।[1] वास्तव में समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो सम्बन्ध हैं, उन सम्बन्धों के संगठित रूप को समाज कहते हैं। सामाजिक सम्बन्धों के अन्तर्गत केवल और पूर्णरूप से इस सम्भावना का ही समावेश होता है कि किसी सार्थक बोधगम्य भाव में कोई सामाजिक क्रिया होगी।[2] अतः प्रस्तुत अध्ययन में सर्वप्रथम मुसहर समुदाय के पड़ोसियों के बारे में सम्यक अववोध प्राप्त करने का प्रयास किया गया जिस पर निम्नलिखित सारणी विस्तृत प्रकाश डालती है–

पड़ोसी

क्र0	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	मेरी ही जाति के लोग हैं	90	73.18
2.	सवर्ण हैं	7	5.69
3.	पिछड़ी जाति के लोग हैं	12	9.75
4.	अनुसूचित जाति के लोग हैं	12	9.75
5.	मुस्लिम हैं	2	1.62
	योग	123	100.0

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक अर्थात 73.18 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पड़ोसी उनकी ही जाति के सदस्य हैं। 5.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पड़ोसी सवर्ण जाति के लोग हैं। 9.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पड़ोसी पिछड़ी जाति तथा इतने ही के पड़ोसी अनुसूचित जाति के लोग हैं। शेष 1.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पड़ोसी मुस्लिम समुदाय के सदस्य हैं।

पड़ोसियों से सम्बन्ध

जहाँ तक मुसहर समुदाय के पड़ोसियों से सम्बन्ध का प्रश्न है, इनके सामाजिक जीवन में अधिक विभिन्नता नहीं होती, इस कारण समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वे परस्पर एक दूसरे से वास्तविक या मौखिक सम्बन्धों द्वारा बँधे रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप सम्बन्धों की मधुरता बनी रहती है। समाज की यह एक आवश्यक विशेषता भी है। निम्नलिखित सारणी इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि उत्तरदाताओं का अपने पड़ोसियों से कैसा सम्बन्ध है?

उत्तरदाताओं का अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध

क्र0	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	घनिष्ठ सम्बन्ध	83	67.48
2.	सामान्य सम्बन्ध	8	6.50
3.	उदासीन	10	8.13
4.	सामान्य द्वेष	14	11.38
5.	अत्यधिक द्वेष	8	6.50
	योग	123	100.0

जहाँ तक उत्तरदाताओं का उनके पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध का प्रश्न है, संकलित आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक अर्थात 67.48 प्रतिशत उत्तदाताओं का उनके पड़ोसियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। सामान्य सम्बन्ध रखने वाले उत्तदाताओं की संख्या 6.50 प्रतिशत है और इतनी ही संख्या अत्यधिक द्वेष रखने वाले उत्तदाताओं की भी है। 8.13 प्रतिशत उत्तदाता ऐसे हैं जिनका अपने पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार द्वेष है और न किसी प्रकार का सम्बन्ध। 11.38 प्रतिशत उत्तदाताओं का अपने पड़ोसियों से सामान्य द्वेष–भाव रहता है।

सहयोग एवं संघर्ष–

यघपि सहयोग एवं संघर्ष दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएँ हैं तथापि दोनों ही समाज की आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें सहयोग ही हो व संघर्ष बिल्कुल न हो। इसी प्रकार कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें केवल संघर्ष ही हो व सहयोग बिलकुल न हो। जैसे भौतिक जगत में आकर्षण और विकर्षण की शक्तियाँ हैं, जो किसी स्थान में पदार्थों की स्थिति को साथ–साथ संचालित व निर्धारित करती हैं। वैसे ही सामाजिक जगत में सहयोग संघर्ष का संचालन होता है जो मनुष्य और समूहों के सम्बन्ध को प्रकट करता है।[3] कूले के अनुसार इस सहयोग के बारे में जो जितना अधिक सोचता है उसे उतना ही अधिक दिखायी देता है कि संघर्ष व सहयोग अलग–अलग करने योग्य वस्तुएँ नहीं है, ये एक ही प्रक्रिया की अवस्थाएँ हैं जिसमें दोनों के कुछ अंश सदैव सम्मिलित रहते हैं।[4]

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में मुसहर समुदाय की सहयोगात्मक प्रकृति को पर्यवेक्षित करने का प्रयास किया गया जिस पर निम्नलिखित सारणी विस्तृत प्रकाश डालती हैः–

उत्तरदाताओं में सहयोगात्मक प्रवृत्ति

क्र0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	प्रत्यक्ष सहयोग	78	63.41
2.	परोक्ष सहयोग	38	31.00
3.	कह नहीं सकता	7	5.69
	योग	123	100.0

उपरोक्त सारणी का सांख्यिकीय विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक अर्थात् 63.41 प्रतिशत उत्तरदाताओं में प्रत्यक्ष सहयोग की प्रवृत्ति पायी जाती है। इसके अन्तर्गत एक साथ पूजाकरना, खेल खेलना, बीमारी अथवा शादी–विवाह में सहयोग देना आदि को प्रत्यक्ष सहयोग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

संघर्षः

सहयोग की भाँति संघर्ष भी मानव जीवन का सार्वभौमिक तत्व है। समाज में संघर्ष की अभिव्यक्ति अनेक प्रकारों, विभिन्न अंषों और प्रत्येक मानवीय सम्पर्क के क्षेत्र में होती है। वस्तुतः सामाजिक संघर्ष में वे सभी कार्य–कलाप सम्मिलित हैं जिनमें मनुष्य किसी भी उद्देष्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। इसके दो रूप हैं– प्रत्यक्ष संघर्ष तथा परोक्ष संघर्ष। निम्नलिखित सारणी उत्तरदाताओं के संघर्ष की आवृत्ति पर प्रकाष डालती हैः–

पड़ोसी–संघर्ष की आवृत्ति

क्र0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	प्रत्यक्ष संघर्ष	62	50.40
2.	परोक्ष संघर्ष	40	32.52
3.	कह नहीं सकता	21	17.07
	योग	123	100.0

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आधे अर्थात् 50.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पड़ोसियों के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष है, जबकि 32.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया

उनका उनके पड़ोसियों के साथ परोक्ष संघर्ष है। परोक्ष संघर्ष के अन्तर्गत भूत–प्रेत कराना, जादू–टोना करना या कराना, विवाह आदि रोकना भी है। शेष 17.07 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की।

संघर्ष का निराकरणः

प्रस्तुत शोध–प्रपत्र में यह भी पर्यवेक्षित किया गया कि मुसहर जाति के लोग आपसी संघर्षों का निपटारा किस प्रकार करते हैं? संघर्षों का निपटारे के माध्यमों पर निम्नलिखित सारणी विस्तृत प्रकाष डालती हैः

संघर्षों से निराकरण का माध्यम

क्र0	माध्यम	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	जाति–पंचायत	77	62.60
2.	संघ	10	8.13
3.	राजनैतिक दल	2	1.62
4.	धार्मिक संस्था	8	6.50
5.	पारस्परिक निपटारा	26	21.13
	योग	123	100.0

सारणी में अन्तर्निहित आँकड़ों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश अर्थात 62.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनके आपसी झगड़ों को जाति–पंचायतें सुलझा देती हैं। इसके विपरीत लगभग 40.00 प्रतिशत झगड़ों का निपटारा अन्य माध्यमों द्वारा कर लिया जाता है।

राजनीतिक जीवनः

भारतीय संविधान में बालिग मताधिकार की सर्वव्यापी व्यवस्था ने भारतीय जनता को यह पूर्ण अधिकार प्रदान किया है कि प्रजातांत्रिक ढंग से अपने मतों को व्यक्त कर अपना शासक चुने। बालिग मताधिकार ने भारतीय ग्रामीण जनता की राजनीतिक चेतना में महत्वपूर्ण क्रान्ति ला दिया है, जो कि ग्रामीण समाज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है।

भारत में सार्वभौमिक रूप से प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक वयस्क बिना किसी जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग की विशिष्टता के आधार पर मत दे सकता है। वैधानिक रूप से जनतंत्र में किसी प्रकार का राजनीतिक स्तरीकरण का कोई स्थान नहीं होता, जैसा कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने की शक्ति तथा नागरिक प्रस्थिति प्रदान की गयी है। स्तरीकरण के तीन प्रमुख आयामों– सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक की चर्चा करते हुए टी0एच0 मार्शल ने लिखा है कि– ''यह कथनीय है कि आधुनिक जनतंत्र में राजनीतिक आयामों का मतदान शक्ति के आधार पर व्यक्तियों का कोई स्तरीकरण नहीं होता क्योंकि यह समान रूप से वितरित होता है।''[5] किन्तु उनका तर्क है कि राजनीतिक तथा सरकारी स्थितियों, प्रमाप, क्रियायों इत्यादि के वास्तविक विवरण में से राजनीतिक आयाम पर स्तरीकरण किया जा सकता है।[6] इस प्रकार यथार्थतः कुछ ऐसे लोग हैं, जो अन्यों की अपेक्षा अधिक सहभागी होते हैं। समाज में सहभागी होने की पैठगत अवसरों तथा इन अवसरों का वास्तविक प्रयोग स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार हो सकता है। एक समाज सहभागिता के वितरण के सम्बन्ध में

अत्यन्त समतावादी अथवा अत्यन्त श्रेणीबद्ध हो सकता है।[7]

उत्तरदाताओं की राजनीतिक अभिरुचि–

राजनीति में व्यक्ति अथवा समूह आत्मनिष्ठ रूप से जिस सीमा तक सम्मिलित होते हैं। इससे राजनीतिक व्यवस्था से उनके सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किस सीमा तक राजनीतिक जगत ज्ञानात्मक स्तर पर विभिन्न समूहों (गुटों के सन्दर्भ में) के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है तथा किस सीमा तक वे राजनीतिक प्रक्रिया में आत्मनिष्ठ रूप से सम्मिलित होते हैं।

ज्ञानात्मक स्तर पर सामान्य राजनीतिक अभिमुखी करण के उपाय यह सूचित करते हैं कि किस सीमा तक विभिन्न गुट राजनीतिक प्रक्रिया के केन्द्र या परिधि में हैं। इसके अतिरिक्त कुछेक अनुसन्धान उपलब्धियों से स्पष्ट हुआ है कि आत्मनिष्ठ आवेष्ठन एक राजनीतिक प्रेरक के रूप में कार्य करता है तथा वास्तविक राजनीतिक क्रिया की ओर मार्गदर्षित करता है।[8]

राजनीतिक चिन्तन के बीच में विष्व की सभ्यताएँ हर युग में प्रभावित करती रही हैं। राज्य, समाज और मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्ध राजनीतिक चिन्तन के विशेष अंग हैं। प्रस्तुत शोध प्रपत्र में यह देखने का प्रयास किया गया कि मुसहर समुदाय के सदस्य राजनीति में सक्रिय भाग लेने हैं या नहीं? राजनीतिक चेतना उनमें कहाँ तक परिव्याप्त है? निम्नलिखित सारणी इस तथ्य पर विस्तृत प्रकाश डालती हैः

उत्तरदाताओं की राजनीति में अभिरुचि

क्र0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	बिल्कुल नहीं	60	48.78
2.	बहुत हद तक	7	5.69
3.	सामान्य	30	24.39
4.	अत्यधिक	26	21.13
	योग	123	100.0

सारणी के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि आधे से थोड़ा कम अर्थात 48.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं की राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। 24.39 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य अभिरुचि रखते हैं। इसके विपरीत 21.13 प्रतिषत उत्तरदाता अत्यधिक अभिरुचि तथा शेष 5.69 प्रतिशत उत्तरदाता बहुत हद तक राजनीति में रुचि रखते हैं।

उत्तरदाताओं द्वारा मतदानः

मतदान राजनीतिक सहभागिता का प्रारम्भिक रूप है तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इसे मौलिकता प्राप्त है। इसके अन्तर्गत जनता अपनी पसन्द का अपना शासक चुन सकती है और यह एक ऐसी विधि है जिसमें शासक को जनता से भिन्न करना पड़ता है।[9] सहभागिता के अधिकांश अध्ययनों से यही पता चलता है कि मतदान सहभागिता का बिल्कुल प्रारम्भिक स्वरूप है और वे लोग जो सिर्फ मतदान करते हैं उनकी सहभागिता के रूप में बहुत महत्व नहीं दिया जाता। मतदान करने में किसी राजनैतिक कार्य की अपेक्षाकृत अधिक लोग सहभागी होते हैं। इसलिए मतदान की प्रक्रिया को तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए।[10] वह व्यक्ति जिसको समाज में बहुत ही निम्न स्थान प्राप्त है और जो जातीय संस्तरण में बहुत ही निम्न स्तर पर है, उनके

लिए मतदान का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार होता है। जिस समूह का आर्थिक और सामाजिक स्तर जितना ही निम्न होता है उसके लिए मतदान का महत्व उतना ही अधिक होता है। प्रस्तुत शोध–प्रपत्र में यह देखने का प्रयास किया गया है कि मुसहर समुदाय के सदस्यों में मतदान प्रक्रिया में सहभागिता का क्या स्वरूप है? निम्नलिखित सारणी इस तथ्य पर विस्तृत प्रकाश डालती है।

मतदान प्रक्रिया में सहभागिता

क्र.	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कभी नहीं	13	10.56
2.	कभी–कभी	30	24.39
3.	नियमित	80	65.04
	योग	123	100.0

सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक अर्थात 65.04 प्रतिशत उत्तरदाता नियमित रूप से मतदान करते हैं, ठीक इसके विपरीत 10.56 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने कभी मतदान किया ही नहीं है। शेष 24.39 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने कभी–कभी मतदान किया है।

संदर्भ–

1. Maciver: R.M. and Page : C.H., Society: An Introductory, Analysis, Rincuart, 1949, p. 5.

2. Weber, Max, The Theory of Economic Organization.

3. R.M. Maciver and C.H. Page : Society: An Introductory, Analysis, London, Macmillan and Co. Ltd. 1962, p. 8.

4. C.H. Cooley: Social Process, New York, 1918, p. 39.

5. T.H. Marshall: Class Citizenship and Social Development, Gardencity, New York, Dubble Day and Company, 1964.

6. Ibid, p. 141.

7. Nie, Verband: Participation in American Political Life, Harper and Row, Forth Comming, New York.

8. B. Norman, Jr Powell and Prewitt Keneeth: Social Structure and Political Science Review, IXIII, N-3, 1969, p. 361-378 and 808-832.

9. Verba and Bhatt Ahmed: Caste and Politics, Comparative study of India and United States, Barely Hill, Sage Publication 1977, p. 96.

10. W. Lester, Milhrath: Political Participation, Chicago, Rand McNally, 1965, p. 18.

●